बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पत्रांकः– अ०स०क०–08–ग०–आ०वि०स्था०–11 / 2024........................ / पटना,दिनांक.................2024

प्रेषक

इबरार अहमद खाँ
संयुक्त सचिव

ई–मेल सेवा में

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / स्नातक शिक्षक / स्नाकोत्तर शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / स्नातक शिक्षक / स्नाकोत्तर शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु विज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि उर्दू, हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रमुख तीन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–ग०–आ०वि०स्था०–11 / 2024.............. / पटना, दिनांक.............. 2024

प्रतिलिपि– श्रीमती जयन्ति, सहायक निदेशक–सह–नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।

अनु:०– यथोक्त।

ह० / –
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–ग०–आ०वि०स्था०–11 / 2024......897 / पटना, दिनांक 13.03. 2024

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आवेदन–पत्र एवं विस्तृत विवरणी संलग्न करते हुए निदेश है कि विभागीय वेबसाईट पर दिनांक–15.03.2024 से 07.04.2024 तक प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु:०– यथोक्त।

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / स्नातक शिक्षक / स्नाकोत्तर शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि– 15.03.2024 एवं अंतिम तिथि– 07.04.2024

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्त्तमान में 02 जिलों यथा **दरभंगा एवं किशनगंज** में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित किया जाना है।

2. अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के स्वीकृत पद के विरूद्ध निम्नांकित रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / स्नातक शिक्षक / स्नाकोत्तर शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को उक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में संविदा नियोजन की सभी शर्त्तों के अधीन राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन संविदा पर नियोजित किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र०	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या (पदो की संख्या x जिला)
1	प्रधानाध्यापक		1x2=2
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	2x2=4
2		हिन्दी	2x2=4
3		उर्दू	1x2=2
4		गणित	1x2=2
5		भौतिक शास्त्र	1x2=2
6		रसायन शास्त्र	1x2=2
7		वनस्पति विज्ञान	1x2=2
8		जीव विज्ञान	1x2=2
9		कम्प्यूटर	1x2=2
10		इतिहास	1x2=2
11		भूगोल	1x2=2
12		समाज शास्त्र	1x2=2
13		राजनीति शास्त्र	1x2=2
14		गृह विज्ञान	1x2=2
15		मनोविज्ञान	1x2=2
16		अर्थशास्त्र	1x2=2
17		लेखा	1x2=2
18		व्यवसायिक अध्ययन	1x2=2
1	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	1x2=2
2		हिन्दी	1x2=2
3		उर्दू	1x2=2
4		फारसी	1x2=2
5		अरबी	1x2=2
6		विज्ञान	1x2=2
7		गणित	1x2=2
8		समाज शास्त्र	1x2=2
9		शारीरिक शिक्षा	1x2=2
10		संगीत / कला	1x2=2
11		कम्प्यूटर	1x2=2
1	पुस्तकालयाध्यक्ष		1x2=2
		कुल	**66**

कृ०पृ०उ०

3. अभ्यर्थी का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्तें रहेगी:–

"चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्ष को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, वही देय होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है।

7. सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय/विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तिथि–07.04.2024 तक हाथोंहाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

9. सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

10. चयनित कर्मियों को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/निदेशालय/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

11. चयनित शिक्षकों की सेवा/देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा।

12. विज्ञापन को रदद करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

अपर सचिव–सह–निदेशक 13/3

आवेदन–प्रपत्र

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्ष के संविदा नियोजन हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदित पद का नामः– प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष
2. आवेदक / आवेदिका का नामः–
3. पिता / पति का नामः–
4. जन्म तिथिः–
5. सेवानिवृत्ति तिथिः–
6. आधार कार्ड संख्याः ☐
7. पैन कार्ड नं०ः– ☐
8. लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐ थर्ड जेंडर ☐
9. दिव्यांगः– हाँ ☐ नहीं ☐
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती–नतीनीः– हाँ ☐ नहीं ☐
11. आरक्षण कोटिः– सामान्य ☐ अनु० जाति ☐ अनु० जनजाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐
12. स्थायी पताः– ग्राम / मोहल्ला / सड़क / शहर...
    पोस्टः–.., थानाः–..
    ...., जिलाः–.., पिन कोडः–.......................
13. पत्राचार का पता ग्राम / मोहल्ला / सड़क / शहर...
    पोस्टः–..., थानाः–..
    ....जिलाः–.., पिन कोडः–.., मो० नं०ः–.......................
    ....
14. शैक्षणिक योग्यताः– स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पी०एच०डी० (अगर हो तो) ☐
15. विषयः– ☐
16. प्रशिक्षण की स्थितिः– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐
17. विद्यालय का नाम (राज्य सरकार के विद्यालय / जवाहर नवोदय विद्यालय / केंद्रीय विद्यालय) का पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है तथा जिस विषय के शिक्षक रहें है, विषय का नामः– विद्यालय का नाम–...,
    विद्यालय का पताः–...,
    विषयः–..
18. कोषागार / बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हे / पी०पी०ओ०न० (महालेखाकार / सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी०पी०ओ० प्रमाण पत्र संलग्न):–...
    ....
19. कोई आरोप / दंड यदि हो, तोः–...

पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो

उद्‌घोषणा

(क) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 की सभी शर्त्तें मुझे मान्य है।

दिनांकः–